आर.एन.आई. नं. RAJHIN (2003) 8976
Postal Reg. No. *RJ/JPC/ FN-11/2008-10*

निर्भीक निडर निष्पक्ष

पाक्षिक

न्यायिक ज्वाला

''न्याय करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है'' ''यदि कहीं भी अन्याय है तो वह न्याय के लिए खतरा है''

वर्ष 6 अंक 6 *संस्थापक : स्व. दुर्गाप्रसाद शर्मा* जयपुर, 25 मार्च, 2009 पृष्ठ-8 मूल्य : 5 रु.

सत्यमेव जयते

क्या कभी मिलेगा गरीब को इन्साफ?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा करोड़पति ही कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं : फिर भी क्या उन्हें तो मिलता है इन्साफ?

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बेवाक तरीके से टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट में न्याय के लिए जाना पाँच सितारा होटलों जैसी विलासिता है जिसका खर्च केवल कुछ लोग ही उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के पास 50 करोड़ या 100 करोड़ अथवा 200 करोड़ रूपए हों वही केवल सुप्रीम कोर्ट पहुँच सकता है। दूसरी तरफ सरकारें हैं जिनके पास मुकदमों को लड़ने के लिए अरबों रूपयों का सरकारी कोष है और 80 प्रतिशत मामलों में वो पक्षकार है। फिर भी वह मुकदमों में हार का ही मुँह देखती है। हमारा न्यायपालिका से सम्बन्धी यह विशेष लेख एक विशेष चिन्ह के साथ ही छापा जाता है जिसमें न्याय की देवी के तराजू में एक तरफ न्यायदण्डिका है और दूसरे पलड़े में नोटों का बण्डल। इस चिह्न की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से हो रही है।

संविधान में नागरिकों को बहुत से मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। न्याय पाने का अधिकार भी उनमें से एक है। कानून की नजर में सभी बराबर हैं। हमारी न्याय प्रणाली सक्षम है यह विवादित है किन्तु देश न्यायपालिका पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। सभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं से गुजरने के बाद भी जब न्याय नहीं मिलता तो उसे मजबूर होकर न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है।

एक गरीब आदमी न्याय पाने की हसरत से न्यायालय की शरण में जाता है, मगर जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि यह कितना मुश्किल और खर्चिला काम है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि अमीर आदमी ही हक की कानूनी लड़ाई लड़ कर न्याय पा सकता है। जस्टिस बी.एन. अग्रवाल, जी. सिंघवी और आफताब आलम की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने जब यह टिप्पणी की होगी तब उन्हें निश्चित रूप से अदालतों में बढ़ते खर्च, वकीलों की महंगी फीस और एक गरीब आदमी के चेहरे पर पसरी पीड़ा का ध्यान रहा होगा। हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवेदनशीलता पर गर्व है कि जब आज अफरा-तफरी और गरीबी से जूझते आम आदमी की सुध कोई नहीं लेता वहाँ उनका ध्यान रखा गया है।

हमारे देश की न्याय प्रक्रिया तेजी से खर्चीली होती जा रही है। न्याय की धीमी गति और पेचीदगियां गरीब आदमी की परेशानियां और बढ़ा देती हैं। हमारे देश में गरीब आदमी तो निचली अदालतों में भी न्याय मांगने जाने की हैसियत नहीं रखता, फिर, उच्च न्यायालय में आने की सोचना उसके बूते की बात नहीं रह जाती है। निचली अदालतों में इतने मामले लम्बित होते हैं और बहुत दूर से न्याय मिलना, न्याय न मिलने के समान बताया जाता है।

अदालत पहुँचने से पहले वह सरकारी मशीनरी के हर उस पहलू से रूबरू होता है जहाँ से उसे थोड़ी भी उम्मीद की किरण नजर आती है। लेकिन होता क्या है? वह हर कदम पर केवल लुटने को विवश होता है। उसे न्याय प्रक्रिया और उसकी इसी कमजोरी का फायदा हर स्तर पर उठाया जाता है। हर जगह उससे जेब ढ़ीली करने की आशा की जाती है।

सभी जगह से थक-हार कर वह जब न्यायालय की शरण में पहुँचता है तब भी उसे कोई बड़ी राहत नहीं मिलती। वहाँ वकील और बाबू उसका शोषण करते हैं। अदालत में आने के बाद उसे निश्चित ही राहत मिलेगी, ऐसा तंत्र अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। ऐसा निराशाजनक माहौल उसे ऐसी स्थिति में नहीं रहने देता कि वह अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ अंतिम समय तक डटा रह सके। अगर उसकी लड़ाई किसी दबंग या अमीर आदमी से है तब तो वह अन्याय सह कर और बिना न्याय के ही रहने को अभिशप्त हो जाता है।

सभी को न्याय सुलभ कराने की दिशा में सरकार कई अच्छे कदम उठाने का दावा तो करती है लेकिन इन प्रयासों और योजनाओं को अमली जामा पहनाने और उस पर बराबर नजर रखने का तंत्र पूरी तरह से विकसित नहीं हो सका है। सरकार और न्यायालयों की पहल पर जिला अदालतों में गरीबों, अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं के लिए कानूनी मदद के कई फोरम बनाए गए हैं। इसका कुछ फायदा इन वर्गों को कहीं-कहीं मिलता भी है, लेकिन इन सबका फायदा उठाने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं और अदालतों की प्रक्रिया और व्यवस्था से गुजरना ही पड़ता है। बहुत से कागजात बनवाने पड़ते हैं, आवेदन आदि टाइप करवाने और अदालतों में बैठे मुंशी आदि की भी जेब गर्म करनी पड़ती है।

कुछ मामलों में नकल आदि निकलवानी पड़ती है, उसमें भी बहुत कुछ खर्च होता है। अब यह सोचने की बात है कि अगर आम आदमी जो कि अपने दो वक्त की रोजी-रोटी के लिए परेशान रहता है, दिन भर अदालतों के चक्कर लगाएगा तो फिर अपना और अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा और इन खर्चों को कैसे उठाएगा।

जब एक गरीब आदमी न्याय पाने की आस छोड़ देता है तब हमारी सारी कानून-व्यवस्था बेमानी लगने लगती है। जब कानून की नजर में सब बराबर हैं तो ऐसा वातावरण भी बनाया जाना चाहिए कि अन्याय के विरूद्ध अंतिम सांस तक लड़ने की बात सोचना सपना न लगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी पर कानून प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों सहित सरकार को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमारे देश की महान कानून व्यवस्था से न्याय पाने की सभी की आस बंधी रह सके तभी हमारी न्याय प्रणाली दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कही जा सकेगी और हम उस पर निश्चित ही गर्व कर सकेंगे।

हमारे देश की न्यायपालिका के समक्ष लंबित साढ़े तीन करोड़ मामलों में 80 प्रतिशत मामलों में सरकार एक पक्षकार है, उसके पास असीमित साधन हैं, करोड़ों रूपयों का राजकीय कोष भी। अधिकांश मामलों में वह हार का मुँह देखती है किन्तु पीड़ित की जिन्दगी तो बर्बाद कर ही देती है।

करोड़पति लोगों को भी न्याय मिलता है इसे भी भ्रम कहा जा सकता है क्योंकि अदालत में मामला जाने के बाद वो न्याय नहीं, किसी एडजस्टमेन्ट से निर्णय प्राप्त करते हैं। न्याय नहीं।

सरकारें क्यों मुकदमे हार जाती हैं?

सरकार के पास भले ही बाबुओं की बड़ी फौज हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दिग्गज पार्टियों से मुकदमा लड़ने और कानूनी दलील तैयार करने के लिए उसके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। रक्षा मंत्रालय, सीबीआई, पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, संचार मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस समेत कुल ग्यारह विभागों के मुकदमों की देखरेख सिर्फ दो कर्मचारियों के जिम्मे है। करीब 55 विभागों और मंत्रालयों के मुकदमों में सरकार की पैरवी से जुड़ा मूलभूत कागजी कामकाज सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल एजेंसी के मात्र 16 कर्मचारी संभाले हुए हैं, जबकि इन्हें हेड करते हैं ग्यारह अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट में हर साल पांच-छह हजार नए मुकदमे दाखिल होते हैं।

पुराने लंबित मामले भी चलते रहते हैं। मुकदमों की फाइलें तैयार कराने तथा नए मुकदमे दाखिल करने आदि की जिम्मेदारी सेन्ट्रल एजेंसी के कर्मचारियों पर है। ये लोग मुकदमा दाखिल करने वाले सरकार महकमों के साथ संयोजन कर दस्तावेज मांगने से लेकर मुकदमा टाइप कराने और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दाखिल करने तक का सारा काम करते हैं। जवाबी हलफनामों और दस्तावेज का ब्यौरा तथा दूसरे दिन सुनवाई पर लगने वाले मुकदमों की फाइलें तैयार करने का काम इन्हीं के जिम्मे है।

हालांकि कस्टम, आबकारी और आयकर विभागों ने अपने महकमे से जुड़े काम के लिए अलग से कुछ कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है लेकिन उसमें अधिकारियों के निजी सचिव, चपरासी, डाक लाने ले जाने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। इनका मुख्य काम से ज्यादा लेना-देना नहीं होता। इन्हें हेड करने वाले अधिकारी जवाबी हलफनामे तैयार कराते हैं और कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हैं। वर्ष 2005 के आँकड़ों को देखा जाए तो सेन्ट्रल एजेंसी में कुल स्वीकृत पद 114 है। 91 पर तैनाती है और 23 खाली पड़े हैं। यहाँ जो पद खाली हुआ, उसे भरा नहीं गया जिससे स्टाफ की कमी होती चली गई। अगर यही हाल कुछ साल और रहा तो सरकार के लिए मुकदमों की पैरवी कर पाना मुश्किल हो जाएगा।

सम्पादकीय ....

रैगिंग का कैंसर

देश की सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देशों एवं अनेकों संगठनों द्वारा प्रबल विरोध के बावजूद रैगिंग के कैन्सर पर रोक नहीं लग पा रही है। ताजातरीन मामले में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित डॉ. राजेन्द्र प्रसाद गवर्नमेन्ट कॉलेज टाण्डा में रैगिंग से छात्र अमन काचरू की मौत का मामला अभी शान्त भी नहीं हुआ था कि आन्ध्र प्रदेश के गुन्टूर स्थित बाईटला एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग की छात्रा ने रैगिंग से परेशान होकर कीटनाश पीकर जान देने की कोशिश की। उक्त दोनों ही मामलों में छात्रों के अभिभावकों ने रैगिंग के नाम पर की जा रही यातनाओं के बाबत कॉलेज प्रशासन को भी सूचित कर दिया था किन्तु खेद है कि प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाया। कैसी विडम्बना है कि छात्रा को आत्म हत्या के लिए इसलिए विवश होना पड़ा कि उसकी सीनियर छात्राओं ने उसे नग्न होकर नाचने को बाध्य किया था। हिमाचल के कॉलेज में रैगिंग के नाम पर सीनियर छात्रों की पिटाई से अमन काचरू की मौत से न केवल एक बेशकीमती जिन्दगी समाप्त हो गई साथ ही आरोपित छात्रों का कैरियर भी तबाह हो गया। डॉक्टरी जैसे पेशे में जहाँ जीवन देने व जीवन बचाने की शिक्षा दी जाती है वहाँ इस तरह की रैगिंग की घटना निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है।

हमें रैगिंग के बारे में उसके मनोविज्ञान को जानना होगा और जब तक हम उसके मनोविज्ञान के कारणों को दूर नहीं करेंगे तब तक इस रैगिंग नाम के कैंसर पर रोक लगना सम्भव नहीं है। स्थिति यह है कि जिस छात्र की रैगिंग की जाती है भविष्य में जब वह सीनियर हो जाता है तो बदला लेने की उस मानसिकता से वह भी मुक्त नहीं हो पाता है और यह सिलसिला बदस्तूर एक परम्परा की तरह चलता आ रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में ताकतवर लोग, पैसे वाले लोग राजनेताओं से सम्बन्धित लोग और उनकी बिगड़ैल औलादें न केवल रैगिंग से अपना दबदबा कायम करते हैं बल्कि भविष्य में नेता बनने के स्वप्न की नींव भी यहीं से डालते हैं। मुझे अपने 1962 में कॉलेज के समय की एक घटना याद है जब कालेज के कुछ छात्रों ने प्रिन्सिपल से यह आग्रह किया कि वो कॉलेज में स्टूडेन्ट यूनियन बनाना चाहते हैं जिसमें वो प्रशासन से छात्रों की तथाकथित वाजिब मांगों का निपटारा करा सके। तत्कालीन प्रिन्सिपल ने उन छात्रों को व्यक्तिगत रूप से अपने कक्ष में बुलाया और लिखित में उनके विचारों से इस संगठन के गठन की पुष्टि चाही। करीब 8-10 छात्रों ने प्रिन्सिपल को इस संगठन के गठन के लिए मांग पत्र पर हस्ताक्षर कर आवेदन प्रस्तुत कर दिया। अगले रोज प्रिन्सिपल ने इन 8-10 छात्रों को कॉलेज से निकाल बाहर किया। जब उनके अभिभावक प्रिन्सिपल से मिले और कारण जानना चाहा तो उनका कहना था कि ये बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं इनकी प्रतिभा की जरूरत इस राष्ट्र को है इस कॉलेज को नहीं। इसलिए यदि इनको इस कॉलेज में रखा जाता है तो ये उन छात्रों का भविष्य बिगाड़ सकते हैं जो अध्ययन के लिए यहाँ आए हैं। अत: इनको देश के भविष्य के साथ जोड़ा जाना ज्यादा ठीक होगा।

देश की सर्वोच्च अदालत ने रैगिंग रोकने के लिए निर्देश देते हुए राघवन कमेटी गठित करने की सिफारिश की किन्तु खेद है कि इस कमेटी के सिफारिशों को न तो अभी तक सही ढंग से लागू किया गया है और न ही शासन प्रशासन की विशेष रूचि है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान घटनाओं को लेकर दोनों राज्य सरकारों को अवमानना के नोटिस जारी किए हैं। सच्चाई यह है कि रैगिंग के 80 प्रतिशत मामले तो बाहर आते ही नहीं हैं और छात्र उसे बर्दाश्त कर खून का घूंट पी जाते हैं। किन्तु कभी-कभार इस तरह की घटना घटती है तो कुछ मुकदमे कायम होते हैं, चर्चाएं होती हैं और मामला फिर दफन हो जाता है। हमें रैगिंग के इस कैन्सर से लड़ने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे और गुण्डे व बिगडैल औलादों पर शिकंजा कसना होगा।

मीडिया को अपनी सीमा तय करना होगा

पत्रकारों ने कहा : प्रेस की आजादी पर अंकुश लगाने का प्रयास बर्दाश्त नहीं

नई दिल्ली। मीडिया को राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि मान कर अपनी जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी से निर्वाह करना चाहिए। इसके लिए मीडिया को अपनी सीमाएँ तय करनी होंगी, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई भी सरकारी प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली के प्रबुद्ध पत्रकारों ने ये राय जाहिर की। दिल्ली पत्रकार संघ की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा मीडिया की भूमिका विषय पर गोष्ठी में पत्रकारों ने राष्ट्रीय सुरक्षा में मीडिया की भूमिका पर अपने विचार रखे। गोष्ठी की अध्यक्षता पत्रकार संघ के अध्यक्ष मनोहर सिंह ने की। संचालन महासचिव मनोज वर्मा ने किया।

चर्चा में मुम्बई हमले के सन्दर्भ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका की आलोचना की गई और कहा गया कि सीधे प्रसारण के कारण ही यह मुठभेड़ 60 घंटे तक चली और करीब 175 लोगों की जानें गई। गोष्ठी में सभी एकमत थे कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आत्म विश्लेषण कर अपनी सीमाएँ तय करनी चाहिए और खासकर युवा पत्रकारों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा में मामलों पर गलत, सनसनीखेज या गुप्त रखने वाली खबर देकर बड़ा नुकसान होने से बचा जा सके।

गोष्ठी में यह भी विचार जताया गया कि मीडिया, सरकार और अन्य व्यवसायों के प्रतिनिधियों की एक संस्था भी बनाई जानी चाहिए जो सलाहकार की भूमिका निभाएं पर प्रेस की आजादी पर अंकुश लगाने के किसी भी सरकारी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वरिष्ठ पत्रकार विजय क्रान्ति ने कहा कि व्यापक प्रभाव होने से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास गलतियाँ सुधारने का मौका खत्म हो गया है। नासमझी, अनुभवहीनता से गलत खबरें प्रकाशित और प्रसारित हो रही हैं। इसलिए पत्रकारों का प्रशिक्षण अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सही रूख होना चाहिए। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के उपाध्यक्ष रास बिहारी ने कहा कि सरकार तंत्र को पत्रकारों को विश्वास में लेकर काम करना चाहिए। उन्होंने इसके लिए सरकार और मीडिया का मिला-जुला तंत्र विकसित करने पर जोर दिया।

वरिष्ठ पत्रकार मनोरंजन सिंह ने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के लिए जिम्मेदारी और अनुभव बहुत जरूरी है। दोनों को अपनी खामियाँ दूर करनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आतंकवादी वारदातों का सीधा प्रसारण जितना कम करे उतना अच्छा है। भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष डॉ. कृष्णबीर चौधरी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों को अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में सनसनीखेज खबरों से बचना चाहिए और राष्ट्र की सुरक्षा पर अपनी नीतियों में बदलाव लाना चाहिए।

वरिष्ठ पत्रकार महेश्वर दयाल गंगवार ने सलाह दी कि पत्रकार संस्थाओं और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के वरिष्ठ पत्रकारों को युवा पत्रकारों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए। पत्रकार कुमार राजेश ने सरकार से पत्रकार परिषद की लंबी समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए उसके अधिकार क्षेत्र में सभी तरह के मीडिया को शामिल करने की मांग की है।

आज भी 80 फीसदी सांसद ग्रेजुएट हैं

नई दिल्ली। इस आम धारणा के विपरीत कि अधिकतर सांसद ज्यादा शिक्षित नहीं हैं, आधिकारिक रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि निचले सदन से करीब 80 फीसदी सदस्यों के पास उनकी न्यूनतम अकादमिक योग्यता के तौर पर स्नातक उपाधि है। लोकसभा के रिकॉर्ड बताते हैं कि 543 में से 428 सांसद या तो स्नातक हैं या फिर इससे ज्यादा शिक्षित हैं। 157 सांसद स्नातकोत्तर हैं, जबकि 22 के पास डाक्टरेट की उपाधि है।

आधिकारिक रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि पहली लोकसभा में 112 सांसद मैट्रिक से भी कम शिक्षित थे, जबकि मौजूदा 14वीं लोकसभा में ऐसे सांसदों की संख्या घटकर 19 ही रह गई। पहली लोकसभा में 85 सांसद स्नातकोत्तर थे, जबकि अब ऐसे सांसदों की संख्या 157 है। रघुवंश प्रसाद (राजद), एम. रामदास (पीएमके), रामेश्वर ओरांव और राजेश कुमार मिश्रा (कांग्रेस) तथा देवेन्द्र सिंह यादव (सपा) सहित 22 सांसद ऐसे हैं जिनके पास डाक्टरेट की उपाधि है। वरिष्ठ सांसद और विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी के पास दो स्नातकोत्तर उपाधियाँ हैं। वह लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के बाद दूसरे उच्च शिक्षित सदस्य हैं। चटर्जी 'बार एट ला' हैं। युवा सांसद भी उच्च शिक्षित सांसदों की संख्या बढ़ाते हैं। इनमें राहुल गाँधी (एम.फिल), जतिन प्रसाद (एमबीए), उद्योगपति से नेता बने नवीन जिन्दल (एमबीए) और मिलिन्द देवड़ा (बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में उपाधि) शामिल हैं।

महिलाओं की तलाशी नहीं ले सकते पुरूष

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पुरूष अधिकारी नारकोटिक्स श्रेणी में आने वाले नशीले पदार्थों जैसी सामग्री की बरामदगी के उद्देश्य से महिलाओं की तलाशी नहीं ले सकते, क्योंकि यह गैरकानूनी है और इससे अभियोजन का मामला कमजोर होता है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी पुरूष अधिकारी के एक महिला की व्यक्तिगत तौर पर तलाशी लेने से 'नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्स' कानून की धारा 50 की उपधारा चार का उल्लंघन होता है। न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा, न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा और न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू की पीठ ने कहा कि डीएसपी बलदेव सिंह की आरोपियों की ली गई व्यक्तिगत तलाशी कानून की धारा 50 की उपधारा चार का उल्लंघन है। न्यायालय ने कहा कि एक महिला की तलाशी एक महिला कर्मी ही ले सकती है। पीठ ने पंजाब सरकार की एक अपील को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। अपील में पंजाब सरकार ने गुरनाम कौर और उनकी बहुओं रणजीत कौर तथा गुरजीत कौर के पक्ष में आए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ चुनौती दी थी, क्योंकि उच्च न्यायालय ने तीनों को दोषमुक्त कर दिया था। सत्र न्यायालय ने तीनों को नारकोटिक्स पदार्थ रखने के आरोप में दोषी पाया था और 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।

बहरहाल, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था कि अभियोजन का मामला कुछ कमजोर है। उच्च न्यायालय ने पुरूष अधिकारियों के महिलाओं की तलाशी लेने को गैरकानूनी करार दिया था। बाद में पंजाब सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की थी।

पुलिस ने तीन महिलाओं को गिरफ्तार कर उनके अमृतसर जिले के थाठा ग्राम स्थित घर से हेराइन तथा अफीम जब्त करने का दावा किया था। डीएसपी बलदेव सिंह ने तीनों की व्यक्तिगत तौर पर तलाशी लेने का दावा किया था। यह भी दावा किया गया था कि तीनों की तलाशी ली गयी और एक पलंग के नीचे से नशीले पदार्थ बदामद हुए। बाद में प्रशासन ने यह भी दावा किया कि एएसआई राजिन्दर कौर भी तलाशी अभियान में शामिल थीं। लिहाजा महिलाओं की तलाशी के लिए एक महिला अधिकारी के मौजूद होने की जरूरत पूरी कर ली गई थी।

बहरहाल, यह दलील उच्चतम न्यायालय में काम नहीं आई और शीर्ष अदालत ने कहा कि अभियोजन की खामियों पर पर्दा डालने के लिए राजिन्दर कौर को पेश किया गया।

अदालतों में अराजकता

पिछले दिनों मद्रास हाईकोर्ट परिसर में जो हुआ उसे देश के न्यायिक इतिहास में एक बहुत दुखद प्रसंग के रूप में याद किया जाएगा। इसकी न्यायिक जाँच की प्रारम्भिक रपट कई मायनों में गौरतलब है। एक तो यह कि इससे घटना की सच्चाई सामने आ गई है। दूसरे, अदालतों में अनुशासन के कुछ और उपाय करने की जरूरत नए सिरे से रेखांकित हुई। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी.एन. श्रीकृष्ण अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाते रहे हैं। मद्रास उच्च न्यायालय में उन्नीस फरवरी को वकीलों और पुलिस के बीच हुए टकराव की जाँच का दायित्व न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण को सौंपा गया था। सुप्रीम कोर्ट को दी गई उनकी अंतरिम रिपोर्ट से दो बातें बिल्कुल साफ हैं। एक तो यह कि उस दिन हिंसा की शुरूआत वकीलों के एक समूह ने की थी। दूसरे, उन्हें काबू में करने के लिए पुलिस कार्रवाई सर्वथा जायज थी, पर जब एक बार लाठीचार्ज का आदेश मिल गया तो पुलिस सारी मर्यादा भूल गई और अंधाधुंध पिटाई पर उतर आई। जाहिर है, न्यायिक जाँच ने जहाँ वकीलों को अराजक व्यवहार का दोषी पाया है वहीं पुलिस को उसकी निर्ममता के लिए कटघरे में खड़ा किया है। ये दो ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं जो जनतांत्रिक समाज के तकाजे से मेल नहीं खातीं। पर हम देखते हैं कि एक तरफ भीड़ या समूह के हिंसा पर उतर आने की बीमारी बढ़ती गई है तो दूसरी ओर कानून व्यवस्था कायम रखने के नाम पर पुलिस सारी हदें लांघ जाती है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण की मांग को लेकर हुआ गुर्जर आंदोलन इसका एक और बड़ा उदाहरण था।

मगर श्रीकृष्ण समिति की अंतरिम रपट एक और मायने में चिन्ताजनक है। वकीलों का पेशा कानून के अनुपालन की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। पर इस मामले में उन्होंने ऐसे व्यवहार किया मानो वे कानून से ऊपर हों! न्यायपालिका से उनकी नजदीकी का मतलब यह तो नहीं होना चाहिए। लाठीचार्ज के बाद चेन्नई के वकील कुछ पुलिस अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग को लेकर अदालतों का बहिष्कार करते रहे। लेकिन अदालत के कक्ष में जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी पर हुआ हमला, थाने में आगजनी और मुवक्किलों को अदालत जाने से रोकने की घटनाएं क्या कोई हकीकत बयान नहीं करतीं? वकीलों से काम पर लौट आने की सुप्रीम कोर्ट की अपील भी बार-बार ठुकरा दी गई। मजे की बात यह है कि अदालती कामकाज का बहिष्कार लिट्टे के खिलाफ श्रीलंका की अनेक सैनिक कार्रवाई रूकवाने की मांग से भी जुड़ा था। क्या एक ऐसी मांग को लेकर, जो न सिर्फ वकीलों के पेशेवर हितों से सम्बन्धित नहीं थी, बल्कि जिसका पूरा होना एक दूसरे देश के रवैये पर निर्भर था, अदालती काम ठप रखने का कोई औचित्य ठहराया जा सकता है? यही नहीं, न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की जाँच यह भी बताती है कि मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने उस वक्त तटस्थ रहकर कानून के तकाजे को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के बजाय वकीलों के प्रति नरमी दिखाई, जो उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। अदालत को सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश का यह पहला मामला नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जाँच की पूरी रपट आएगी तो उसमें अदालतों में अनुशासन सुनिश्चित करने के मकसद से कई अहम सुझाव शामिल होंगे और उन्हें गंभीरता से लिया जाएगा।

बिना वकीलों के चल रही हैं तमिलनाडु की अदालतें!

चेन्नई। पूरे तमिलनाडु में जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर देने वाले वकील-पुलिस संघर्ष के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। लाठीचार्ज के आरोपी पुलिस वालों की बरर्खास्तगी की मांग पर वकीलों द्वारा अदालतों का बहिष्कार अभी भी जारी है। मगर अब मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर वकील उपस्थित नहीं होते हैं तो न्यायाधीश बिना वकीलों के ही सुनवाई शुरू कर देंगे।

लंबित मामलों पर फैसला मामले के गुण-दोष के आधार पर दे दिया जाएगा। पिछले चार हफ्तों से अदालतों का बहिष्कार कर रहे वकीलों की मांग है कि 19 फरवरी को हाईकोर्ट परिसर में वकीलों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस उच्चाधिकारियों को सजा दी जाए। वकीलों के बहिष्कार के कारण राज्य की अदालतों में काम-काज ठप पड़ा हुआ है। मगर मद्रास हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को आदेश दिया है कि काम शुरू कर दिया जाए। उच्च न्यायालय का कहना है कि अगर वकील उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके बिना ही सुनवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट का कहना है कि इस स्थिति में अदालत की सहायता के लिए नियुक्त वकीलों के पैनल से केस दलीलें पेश करने के लिए कहा जाएगा। अगर ये संभव नहीं हुआ तो आरोपियों (जो जेल में हैं या जमानत पर बाहर हैं) को नोटिस भेजकर कहा जाएगा कि वे वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। हालांकि हाईकोर्ट के इस कड़े रुख के बावजूद वकील अपनी मांगों पर अड़े हैं। मद्रास हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन तथा तमिलनाडु एडवोकेट्स एसोसिएशन का कहना है कि अदालतों का बहिष्कार जारी रहेगा। वकीलों का कहना है कि हाईकोर्ट का ताजा निर्देश वकीलों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। 19 फरवरी को तमिलनाडु पुलिस जनता दल अध्यक्ष सुब्रहमण्यम स्वामी से मारपीट के आरोपी कुछ वकीलों को गिरफ्तार करने के लिए हाईकोर्ट गई थी। वकीलों के विरोध पर मामला बिगड़ा और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। इस संघर्ष में एक जज समेत कई लोग घायल हो गए थे। उधर, जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रहमण्यम स्वामी ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार कोर्ट परिसर में हुई हिंसक घटनाओं में शामिल वकीलों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगा सकती है। स्वामी के मुताबिक 17 और 19 फरवरी को जो कुछ हुआ, प्राथमिकी के अनुसार वह एक संज्ञेय अपराध है। सरकार रासुका, गैरकानूनी गतिविधि कानून और गुंडा कानून लगा सकती है। वकीलों को अदालत की अवमानना के कारण न केवल जेल भेजा जा सकता है बल्कि अधिवक्ता कानून के तहत उन्हें वकालत करने से भी रोका जा सकता है।

चुनाव लड़ने वाले अपराधियों की सूचि सुप्रीम कोर्ट भेजी जाएगी

लखनऊ। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने कहा है कि राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ गठित उनका मंच संजय दत्त व उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव में खड़े हो रहे आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास व पूरा ब्यौरा टेलीग्राम से सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा और राजनीति के अपराधीकरण पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करेगा कि वह खुद हस्तक्षेप करे और अपराधी सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे मामलों की रोजाना सुनवाई करा कर जल्द फैसला दे। साथ ही एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर भी न्यायपालिका पर दबाव बनाएगा। इस बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने बसपा सरकार पर अपराधियों को शह देने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया है कि सुल्तानपुर में बसपा सांसद ताहिर खान आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाते हुए हथियारों के साथ शहर में खुला प्रदर्शन किया और प्रशासन खामोशी से देखता रहा।

उधर, कुलदीप नैयर ने कहा कि अपराधीकरण हमारे देश के लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बन गया है। अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 30-40 फीसदी लोकसभा क्षेत्रों में नामी-गिरामी अपराधी उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं जिनके अपराध ही नहीं आतंकवाद से भी गहरे रिश्ते हैं। उन्होंने अपराधीकरण को रोकने के लिए एक मंच के गठन की भी लखनऊ में घोषणा की और कहा कि मंच सुप्रीम कोर्ट को ऐसे सभी उम्मीदवारों का ब्यौरा टेलीग्राम से तत्काल भेजने जा रहा है और उनको रोकने के लिए जल्दी ही जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगा और जनता के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाएगा और अपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को हराने के लिए जनमत तैयार करेगा।

यहाँ गाँधी भवन में नैयर ने कहा कि यह बड़े शर्म की बात है कि जिस चुनौती का सामना करते हुए हमारे देश में महात्मा गाँधी, नेहरू, अम्बेडकर, मौलाना आजाद, लोहिया, और जेपी के हाथों यह लोकतंत्र बना, पला, पनपा और फैला, आज उसके उच्च शिखर आसनों पर ऐसे खतरनाक अपराधी बैठने जा रहे हैं जिनके संबंध आतंकवादियों तक फैले हुए हैं। ऐसे समय में नौजवानों को आगे आकर राष्ट्रहित की उसी तरह से रक्षा करनी चाहिए जिस तरह से स्वतंत्रता आन्दोलन व जेपी आन्दोलन में उन्होंने की थी। नैयर ने सुप्रीम कोर्ट के बबलू श्रीवास्तव को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देने सम्बन्धी फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि समाचार माध्यमों, अखबारों और खासकर नौजवानों को इस माहौल को बनाए रखना चाहिए ताकि न्यायपालिका को सार्वजनिक जीवन को अपराध मुक्त करने में मदद मिलती रहे।

उन्होंने कहा कि अपराधीकरण विरोधी मंच को विभिन्न क्षेत्रों से अच्छा समर्थन मिल रहा है। हाईकोर्ट के अवकाशप्राप्त अफसर, प्रोफेसर, बुद्धिजीवी व सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में साथ आ रहे हैं। मंच की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता राजीव ने कहा कि पहले कदम के तौर पर मंच एवं न्यायपालिका से आग्रह करेगा कि वह अपराधियों को चुनाव लड़ने की इजाजत हरगिज न दे। हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया गया है। इन हस्ताक्षरों के माध्यम से अदालत से अपील की जाएगी कि वह अपराधियों को रोके। नागरिकों और मतदाताओं को यह पूरा अधिकार है कि वे न्यायपालिका से लोकतंत्र की रक्षा की अपील करें और न्यायपालिका का यह दायित्व है कि वह लोकतंत्र की प्रक्रियाओं व संस्थाओं की रक्षा करे।

झूलते तार से मौत के मामले में बिजली कंपनी पर दस लाख रूपए का जुर्माना

नई दिल्ली। सड़क पर झूलते तार और उनमें मौजूद बिजली प्रवाह के लिए बिजली कंपनी जिम्मेदार है। इस बाबत आए एक मामले को दिल्ली की निचली अदालत में गंभीरता से लिया है। सराय रोहिल्ला इलाके में बिजली के झूलते तार से एक व्यक्ति की मौत के मामले में तीस हजारी की एक अदालत ने बिजली वितरण करने वाली निजी कंपनी एनडीपीएल पर दस लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। यह रकम बतौर मुआवजा तय समय के भीतर पीड़ित परिवार को देने के निर्देश दिए गए हैं।

अदालत ने मृतक लक्ष्मीनारायण की पत्नी दया रानी की मुआवजा संबंधी अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि परिसर की बिजली आपूर्ति कटने के बाद करंट दौड़ रहे तार को खुला छोड़ देना न केवल एनडीपीएल अधिकारियों की लापरवाही है बल्कि यह बिजली नियमों का उल्लंघन भी है।

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश कामिनी लॉ ने कहा कि कर्त्तव्य निर्वहन होता और तार हटा दी जाती तो यह त्रासदी रोकी जा सकती थी। अदालत ने माना कि नई दिल्ली ऊर्जा लिमिटेड (एनडीपीएल), सतर्कता की देखभाल करने में नाकाम रही। नंगे तार से कोई हादसा न हो इसकी पूरी जिम्मेदारी एनडीपीएल की है। ऐसे में एनडीपीएल का जानबूझकर लापरवाही बरतना गंभीर अपराध है। इसलिए कंपनी को उपभोक्ता को बतौर मुआवजा दस लाख देने होंगे। 28 जून, 2007 को बिजली के जिस झूलते नंगे तार से सटकर लक्ष्मी नारायण की मौत हो गई थी, वह तार कई दिनों से वहाँ झूल रहा था। इसकी शिकायत भी की गई थी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी।

हादसे के बाद लक्ष्मी नारायण की पत्नी दया रानी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और बिजली कंपनी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उसने मुआवजे की मांग की। कहा कि उसके पति लक्ष्मी नारायण की कमाई हर रोज 599 से 1000 रूपए थी। जिससे परिवार का गुजारा चलता था। पति की मृत्यु के बाद आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। इसलिए मुआवजा दिया जाए।

अदालत ने विधवा दया रानी और उनके चार नाबालिग बच्चों को आटोचालक लक्ष्मी नारायण की मौत के एवज में दस लाख रूपए मुआवजा देने का निर्देश दिया।

पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति को लौटाए पदक

❑ अब देशभर में निकालेंगे रैली, करेंगे पदयात्रा ❑ मेडल लेने नहीं निकलीं राष्ट्रपति, फौजी दुखी ❑ सीने से मेडल उतारते ही रो पड़े पूर्व फौजी

नई दिल्ली। 'एक रैंक, एक पेंशन' की मांग पर आन्दोलनरत पूर्व सैन्य अधिकारियों/सैनिकों ने फिर राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को अपने पदक वापस दिए। पदक लौटाने की दूसरी कड़ी में तीन हजार मेडल लौटाए गए। इस बार भी राष्ट्रपति फौजियों के सामने नहीं आईं। राष्ट्रपति भवन में एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये मेडल लिए। जिंदगी भर की कमाई, इज्जत और सम्मान को सीने से उतारते ही रो पड़े पूर्व सैन्य अधिकारी। लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल जैसे अधिकारी खुद को रोक नहीं पाए। इससे पहले 8 फरवरी को देशभर से आए पूर्व सैन्य अधिकारियों एवं सैनिकों ने 25 सौ पदक लौटाए थे। आन्दोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय पूर्व सैनिक आन्दोलन के उपाध्यक्ष मेजर जनरल (रिटायर्ड) सतवीर सिंह ने कहा कि उनका संघर्ष जारी रहेगा। देशभर में लगभग 24 लाख पूर्व सैनिक सेवानिवृत्ति के बाद सरकार की गलत नीतियों के शिकार हो रहे हैं। अनुशासन में रहकर देश की रक्षा करने वाले इन फौजियों को उनकी जायज मांगें भी पूरी नहीं हो रही हैं। यही कारण है कि पूर्व सैनिक देशव्यापी आन्दोलन करने को उतारू हैं।

उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो शीघ्र ही देशभर में आन्दोलनरत पूर्व सैनिक राजधानी दिल्ली में जुटकर प्रदर्शन करेंगे। सरकार फिर भी न जागी तो लोकसभा चुनाव में पूर्व सैनिक ताकत का एहसास कराएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि देशभर के पूर्व सैनिक उसी दल को वोट देंगे जो उनकी मांग पूरी करेगा। शांतिपूर्वक आन्दोलन की नींव रखने वाले रिटायर्ड फौजी अपनी मांग मनवाने के लिए देशभर में रैली और पदयात्रा भी निकालेंगे। मेजर जनरल (रिटायर्ड) पी.के. रंजन एवं बीके कटारिया ने रक्षा राज्यमंत्री पल्लम राजू के बयान की निन्दा करते हुए कहा कि राजनीतिक लोग अपने फायदे को लेकर फौजियों का मनोबल गिरा रहे हैं। उनकी मांगें पूरी हो सकती हैं, लेकिन नेता नहीं चाहते। शनिवार को 11 सदस्यीय पूर्व सैन्य अधिकारियों का दल क्रमशः मेजर जनरल (रिटायर्ड) सतवीर सिंह, बीके कटारिया, कर्नल के जोशी, विंग कमांडर सीके शर्मा, ग्रुप कैप्टन बीके गाँधी, लोकेश गुप्ता, सरन आहुजा, बलवान सिंह आदि ने देशभर से एकत्र हुए तीन हजार मेडल राष्ट्रपति को लौटाए।

पुलिसिया जुल्म में देश में अव्वल है उत्तर प्रदेश

गीता सिंह, झाँसी

नई दिल्ली। पुलिस मुठभेड़ के मामले में देश में अव्वल होकर 'मुठभेड़ प्रदेश' बन चुके उत्तर प्रदेश में रोज करीब 62 व्यक्ति पुलिस ज्यादती के शिकार होते हैं। मानवाधिकार हनन के मामलों में सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल और कारागारकर्मी भी पीछे नहीं हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मिले ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले करीब तीन साल से प्रदेश में रोजाना करीब 62 लोग पुलिस की ज्यादती के शिकार हो रहे हैं। आयोग के आंकड़ों के अनुसार एक अप्रैल 2006 से 31 जनवरी 2009 तक उत्तर प्रदेश से पुलिस के खिलाफ मानवाधिकार हनन के 67 हजार 399 मामले आए। आंकड़ों के मुताबिक 2006-07 में पुलिस ज्यादती के खिलाफ मानवाधिकार हनन के 21 हजार 899 मामले दर्ज किए गए। वहीं 2007-08 में इन आंकड़ों में जबरदस्त वृद्धि हुई और यह 26 हजार के पार पहुँच गया।

ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2008-09 में 31 जनवरी तक इसकी संख्या 19 हजार 462 तक पहुँच चुकी थी।

मानवाधिकारों के हनन में कारागारकर्मी भी पीछे नहीं हैं।

उपरोक्त अवधि में तकरीबन 1800 मामले आयोग में दर्ज किए गए। प्रदेश की जनता न केवल पुलिसिया जुल्म की शिकार होती है बल्कि उन्हें सुरक्षा बल और अर्द्ध सैनिक बल के जवानों के भी जुल्म सहने पड़ते हैं। आयोग के इन आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि में सुरक्षा बलों के खिलाफ जहाँ कुल 84 मामले दर्ज किए गए वहीं अर्द्धसैनिक बलों के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में दर्ज किए गए।

आंकड़ों पर गौर करें तो पाते हैं कि प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी इस अवधि में रोज 12 महिलाओं के मानवाधिकार हनन के मामले सामने आए।

हालात यह है कि प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री होने के बाद भी दलितों पर अत्याचार नहीं रूक रहे हैं। इस अवधि में लगभग तीन रोज से अधिक अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के मानवाधिकार का हनन हुआ।

सभी सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार

कैग की रिपोर्ट से साफ, जनता की गाढ़ी कमाई का बेजा इस्तेमाल

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार मल्होत्रा ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि रिपोर्ट से साफ हो गया है कि दिल्ली सरकार के प्रायः सभी विभागों में भ्रष्टाचार है और वह दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई को दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। प्रेस कांफ्रेंस में प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि सीएजी ने सभी विभागों में अनियमितताओं की ओर ध्यान खींचा है।

मल्होत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अपनी जिद के कारण दिल्लीवासियों पर बीआरटी कॉरिडोर का बोझ लाद दिया। सीएजी की रिपोर्ट में बीआरटी कॉरिडोर का बोझ लाद दिया। सीएजी की रिपोर्ट में बीआरटी कॉरिडोर को पूर्णतः नाकाम बताया गया है। विभाग की ओर से आंबेडकर नगर से चिराग दिल्ली तक बस और एमवी लेन में 110815 वर्ग मीटर की कंकरीट फर्श के निर्माण पर 4.27 करोड़ रूपए से ज्यादा खर्च किया गया। बीआरटी कॉरिडोर के निर्माण के आवंटन के अनुसार सड़कों का निर्माण और रखरखाव लोक निर्माण विभाग का उत्तरदायित्व है, लेकिन डिजाइन, निर्माण और पर्यवेक्षण का पूरा कार्य परिवहन विभाग को सौंपा गया, जिसके पास तकनीकी विशेषज्ञता या इस काम को करने का अनुभव नहीं था। सीएजी ने कॉरिडोर को दायीं होर से हटाकर बायीं ओर के मध्यम मार्ग में करने की भी जमकर खिंचाई की। इससे पूर्व संसद की स्थायी समिति ने भी इस याचिका की कड़ी निन्दा की थी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री दीक्षित जनता के लिए इस कष्टदायक योजना को समाप्त करने की बजाए और आगे बढ़ा रहीं हैं। मल्होत्रा ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डीआईएमटीएस के पास सात दिनों से सात महीने दो दिन की अवधि के लिए 10.50 करोड़ से 90.33 की श्रेणी में राशि आवश्यकता से ज्यादा रखी रही, जिससे सरकार को 2.32 करोड़ रूपए के ब्याज का नुकसान उठाना पड़ा। सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से किए गए स्मार्ट कार्ड घोटाले पर फिर से सवालिया निशान लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्मार्ट कार्ड पर सीरियल नम्बर और होलोग्राम नहीं थे, इसलिए कार्डों की प्रामाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

पूर्वोत्तर में जाली नोट बनाने के लिए होता है स्टाम्प पेपर का उपयोग

गुवाहाटी। पूर्वोत्तर के असम और मिजोरम में बड़े पैमाने पर जाली नोट के कारोबार के बारे में फोरेंसिक विशेषज्ञों ने बताया है कि ऐसे जाली नोट तैयार करने के लिए स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल कागज के रूप में किया जा रहा है।

असम फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला के उपनिदेशक एमएन वोरा ने कहा है कि जाली नोट छापने वाले अत्याधुनिक मुद्रण प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। कम कीमत वाले स्टाम्प पेपर का प्रयोग जाली नोट छापने के लिए किया जा रहा है। यही वजह है कि पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में हमेशा स्टाम्प पेपर की किल्लत बनी रहती है।

वोरा ने यह भी बताया कि हाल के वर्षों में जाली नोट बरामद होने की घटना तेजी से बढ़ती गई है। 2008 में फारेंसिक प्रयोगशाला के पास विभिन्न जाँच एजेंसियों की तरफ से जाली नोट की जांच करने के लिए 469 मामले आए। जाली नोटों के अलावा प्रयोगशाला में नकली चेक चालान और धन उगाही के लिए लिखे पत्रों की भी जाँच होती है। प्रयोगशाला के पास मिजोरम से जाली नोट की जांच के लिए दस मामले आए। मिजोरम में पिछले साल 25 लाख रूपए के जाली नोट बरामद किए गए थे। प्रयोगशाला में जाली नोटों की जाँच करने के लिए अत्याधुनिक वीडियो स्पेक्ट्रल कंपरेटर-5000 नामक उपकरण लगाया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में कुछ और अत्याधुनिक उपकरण खरीदने का फैसला किया गया है ताकि जाँच के कार्य में सहायता मिल सके।

पूर्वोत्तर में जाली नोट का धंधा संगठित तरीके से चलाया जाता रहा है। वर्ष 2001 से असम पुलिस जाली नोट से सम्बन्धित लगभग 700 मामले दर्ज कर चुकी है और 917 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

हजार करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा, सरकार को नोटिस

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्राइम लोकेशन की एक हजार करोड़ रूपए कीमत की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं और सरकार इसे हटाने के लिए कुछ नहीं कर रही है। यह बात सीलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित निगरानी समिति की रिपोर्ट में कही गई है। कोर्ट ने इस रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार, केन्द्र सरकार, डीडीए तथा अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों को नोटिस जारी कर कब्जा खाली करने के बारे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने उपरोक्त निर्देश सीलिंग मामले में सुनवाई के दौरान जारी किए। न्यायालय की मदद कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने निगरानी समिति की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कोर्ट को बताया कि दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर करीब एक हजार करोड़ रूपए की कीमत वाली सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं और सरकार चुप बैठी है। निगरानी समिति ने सीलिंग मामले में चलाई गई मुहिम के दौरान पाया कि मिन्टो रोड, माता सुन्दरी रोड तथा महाराजा रंजीत सिंह रोड पर स्थित सरकारी जमीन व सरकारी बंगलों में अवैध कब्जा कर व्यवसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं। ये जमीन एलएनजेपी, मौलाना आजाद व इरविन अस्पतालों के विस्तारीकरण के लिए थी।

भारत में लोकतंत्र का मजाक

प्रो. मानचन्द खण्डेला
E : mail : manchandkhankaha@redifmail.com

यह सही है कि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, लेकिन कटु यथार्थ यह है कि भारत में इसका सर्वाधिक दुरूपयोग हो रहा है। प्रायः प्रत्येक राजनैतिक दल में अलोकतान्त्रिक तरीकों से निर्णय लेना, लोक पर तंत्र का हावी होना, लोक सेवकों द्वारा लोक का मालिक बन जाना, पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा मास्टर्स (मालिक) की तरह व्यवहार करना, जन प्रतिनिधियों द्वारा जनता से यथासंभव अधिकतम दूरी बनाये रखना, सरकार के खर्च का अति अल्प भाग आमजन के कल्याण पर खर्च होना तो हमारे यहां इतना अधिक एवं आसानी से हो रहा है कि अब इसे "जनतंत्र की आवश्यक बुराई", "जनता की मजबूरी", "जीवन चलाने की आवश्यकता" के नाम दिए गए हैं और शोषक के साथ ही शोषित की मानसिकता भी "सब कुछ चलता" की गई है।

भारतीय जनतंत्र की त्रासदी तो यह है कि ऐसी "आवश्यक" बुराईयां देश के छोटे कहे जाने वाले दलों में ज्यादा है। इसके लिए जयललिता वाले अन्नाडीएमके, करूणानिधि वाले डीएमके, ओमप्रकाश चौटाला वाले अभालोद, उद्धव ठाकरे वाले शिव सेना व मायावती वाले बसपा को उदाहरण के रूप में रखा जा सकता है। इसके अलावा भी सैंकड़ों दल चुनाव आयोग से क्षेत्रीय दलों के रूप में पंजीकृत हैं। जो सुविधाएँ, प्रचार व फायदा पाने के लिए लोकसभा से लेकर पंचायत तक अपने प्रत्याशी बड़ी संख्या में चुनाव मैदान में उतारते हैं और प्रायः शत-प्रतिशत रूप में उनकी जमानतें जब्त करवाते हैं। बात यहाँ तक ही सीमित रहे तो भी इसे लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का हिस्सा मान कर भुलाया जा सकता है, लेकिन बसपा व शिव सेना जैसे दलों को तो लगता है लोकतान्त्रिक मर्यादाओं, परम्पराओं और सीमा तक देश के कानून से भी भय नहीं है। वहाँ पार्टी संगठन, आंतरिक लोकतंत्र, संगठनात्मक चुनाव, पार्टी संविधान, निर्णय प्रक्रिया आदि कुछ भी नहीं है। सब कुछ निर्धारित व निर्णित एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यह बात शीशे की तरह साफ है कि बसपा अध्यक्ष मायावती केवल धन कमाने, रूतबा बढ़ाने, एशोआराम की जिन्दगी जीने, सवर्ण कही जाने वाली जातियों के लोगों को अपमानित करने, जातिवाद का फायदा उठाते रहने व माफिया सरदारों को संरक्षण देकर लाभ उठाते रहने के लिए राजनीति करती है। बसपा में नेता तो वह अकेली है और बाकी मंत्री, पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि केवल कार्यकर्ता हैं। लोकतंत्र का खुला मजाक देखिये! इस दल में किसी स्तर पर कोई चुनाव नहीं होता, पदाधिकारियों को कपड़ों की तरह पदों पर बैठाया व उतारा जाता है। केवल कहने को राष्ट्रीय, प्रदेश व नीचे के स्तर पर अध्यक्ष या मंत्री जैसे पद किसी को प्रतिफल प्राप्त कर या भविष्य में पार्टी के लिए "कुछ" करने के अलिखित समझौते कर दिये जाते हैं। जिनका प्रमुख बल्कि केवल काम चुनावों, समारोहों, रैलियों, मायावती के जन्म दिन आदि अवसरों पर अधिक से अधिक चन्दा एकत्रित करना व उसे शीर्ष तक पहुँचाने तक ही होता है। बाकी सारे निर्णय तो प्रभारी जो सीधे शीर्ष नेतृत्व से नियन्त्रित होता है ही करता है। यह लोकतंत्र की आड़ में एकात्मक सत्ता का ही उदाहरण है। यह विषय निश्चय ही अब जांच का नहीं रहा कि प्रायः सभी दलों में अब हर स्तर के चुनाव के समय प्रत्याशी बनाने हेतु टिकिट प्राप्त नहीं होते बल्कि "मैनेज" किये जाते हैं और इस "मैनेजमेंट" में लाखों से करोड़ों रूपए खर्च करने पड़ते हैं। दलों और व्यक्तियों द्वारा एक-दूसरे पर दिखावटी रूप से टिकिट बेचने के आरोप लगाए जाते हैं लेकिन कोई भी ऐसे मामले या अपनी मानहानि के फैसलों की बड़ी संख्या में जाँच करवाई जाती है। लेकिन पैसे के बदले टिकिट मामलों पर चुप्पी साध ली जाती है। स्पष्ट है, हर दल में ही ऐसा होता है इसलिए हर नेता "तू मुझे मत उघाड़, मैं तुझे नहीं उघाडूं" की नीति पर ही चलते हैं। प्रायः हर चुनाव में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों के प्रत्याशी निर्धारित सीमा से कई गुणा धन खर्च करते हैं। जो चुनाव आयोग व न्यायालय को स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है। फिर भी कार्रवाई नहीं होती। पता नहीं कई बार स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर हलचल मचाने वाले न्यायाधीशों को जनतंत्र का मजाक उड़ाने वाले ऐसे मामले हस्तक्षेप करने लायक क्यों नहीं लगते हैं? चुनाव आयोग हजारों पर्यवेक्षकों पर जनता के गाढ़े पसीने की बड़ी रकम खर्च करके भी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाता है? चुनाव आचार संहिता के नाम पर एक तान्त्रिक राज स्थापित कर देने वाला आयोग अपने ही अधिकारियों, कर्मचारियों व पर्यवेक्षकों को जवाबदेह नहीं बना पाता है। फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। इसे भी जनतंत्र के नाम पर सत्ता या अधिकारों का उचित उपयोग नहीं करना ही तो माना जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में एक विधायक द्वारा एक इंजीनियर को चंदा वसूली को बाध्य करते हुए पीट-पीट कर मार देने की भले ही जांच चल रही हो लेकिन मायावती जैसे नेताओं की सामंती हरकतें लगातार बढ़ रही हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। उनकी सभाओं और बैठकों में मंत्री तक को जमीन पर बैठने को मजबूर करना, देवी-देवताओं की खिल्ली उड़ाते हुए उन्हें जिन्दा देवी बताकर उनकी तस्वीर को पूजने को बाध्य करना, ऊंची कही जाने वाली जातियों के पार्टी पदाधिकारियों को जानबूझकर उपेक्षित व अपमानित करना, सभाओं में गाली-गलौच की भाषा का उपयोग करना, जातिप्रथा को स्वार्थवश फैलाना तथा हर मामले में दलित कार्ड खेलना कहाँ तक सहन किये जा सकते हैं? कुछ कमोबेश ऐसी ही स्थिति अन्य दलों के नाम से पंजीकृत संगठनों की है। भारतीय लोकतंत्र में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के पास सब कुछ नाजायज व गैर-कानूनी करने का एक तरह का लाइसेंस सा होता है। तब ही तो सभी तरह के भ्रष्ट, असामाजिक, माफिया व धर्मांध तथा साम्प्रदायिक लोग दलों में पद प्राप्त करने व उसके बाद प्रत्याशी बनने के लिए साम, दाम, दण्ड, भेद की नीति को अपनाते हैं। भारत में लोकतंत्र को बचाये रखने के लिए चुनाव आयोग, न्यायपालिका व स्वयं जनता द्वारा बहुत कुछ ठोस करने की जरूरत है। नहीं तो यहाँ लोकतंत्र की आड़ में सामंती प्रवृत्तियां, सामान्यजन की उपेक्षा, सरकारी खजाने का दुरूपयोग, विधायिका व कार्यपालिका की निष्क्रियता और देश में अलगाववादी ताकतों का प्रभाव बढ़ता ही जाना है। जो हम में से किसी के भी हित में नहीं है।

मात्र अधिक न्यायालय भी सभी को न्याय हेतु पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया है कि मात्र और अधिक न्यायालयों की स्थापना का विचार सभी को न्याय दिलाने हेतु पर्याप्त नहीं है जब तक अस्सी से पिच्यासी प्रतिशत जनसंख्या उच्च विद्यालय स्तर तक शिक्षित न हो।

उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन व पी. सदाशिवम की पीठ द्वारा व्यक्त किया गया कि और अधिक न्यायालयों की स्थापना मात्र से यह समस्या हल नहीं होगी एवं एक जनहित याचिका का उद्धरण दिया गया जिसमें जिला सोनभद्रा उत्तरप्रदेश के चार हजार आदिवासियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु से सम्बन्धित थी एवं जिसमें एक भी मृतक के परिवार को मुआवजा नहीं मिला। मोटर दुर्घटना वाद प्राधिकरण होने के बावजूद अशिक्षित आदिवासियों को मुआवजे के अपने वैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं थी। पीठ द्वारा न्यायिक रिफार्म्स पर अधिवक्ता प्रशान्त भूषण द्वारा दी गई राय पर कहा गया कि लम्बित ढ़ाई करोड़ मुकदमों के लिए दस हजार और न्यायालयों की आवश्यकता है किन्तु केवल इनकी स्थापना वांछित परिणाम नहीं देगी यह परिणाम केवल आमजन में शिक्षा के स्तर में वृद्धि व जागरूकता से ही सम्भव हो पाएगा कि वे न्यायालयों में जाएं। मुख्य न्यायाधीश द्वारा कहा गया कि जरूरतमंद को यह जानकारी नहीं होना कि वह किस प्रकार न्यायालय की शरण में जा सकता है का निवारण समुचित शिक्षा से ही हो सकता है।

श्री भूषण द्वारा ग्राम न्यायालय की स्थापना के कदम को महत्त्वपूर्ण न्याय के लिए आसान रास्ते के रूप में माना है किन्तु साथ ही यह भी कहा कि आमजन के शिक्षा स्तर में वृद्धि अधिक महत्त्वपूर्ण है। जब श्री भूषण द्वारा यह कहा गया कि न्याय प्राप्ति के व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है तथा कानूनी सहायता समितियां समुचित कार्य नहीं कर रही है तो पीठ द्वारा कहा गया कि उनके जैसे वकीलों द्वारा मुकदमेबाजों को मुफ्त सेवा दी जानी चाहिए।

किसी के पास नहीं है न्यायपालिका के खिलाफ शिकायतों का ब्यौरा?

नई दिल्ली। लोकतंत्र के हर स्तम्भ की गलतियों पर सुनवाई करने वाली और सजा तय करने वाली न्यायपालिका के खिलाफ शिकायतों का ब्यौरा किसके पास है? फिलहाल तो यह सवाल बहस का विषय बना हुआ है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई एक जानकारी के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया है कि हाईकोर्ट के जजों या स्टाफ के खिलाफ शिकायतों का कोई ब्यौरा वह नहीं रखता। अब सूचना आयोग को यह तय करना है कि इस जानकारी के लिए आवेदन आखिर किसे दिया जाए।

दिल्ली की रहने वाली श्रुति सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट के जनसूचना अधिकारी के समक्ष दायर एक आवेदन में एक अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2007 तक विभिन्न हाईकोर्ट के जजों व स्टाफ के खिलाफ आई शिकायतों का ब्यौरा मांगा था। इस पर शीर्ष न्यायालय का जवाब था कि ऐसी शिकायतों का ब्यौरा न तो सुप्रीम कोर्ट रखता है और न ही ऐसे रिकॉर्ड पर उसका नियंत्रण है। अतः आवेदन का जवाब नहीं दिया जा सकता। चौहान ने सूचना अधिकारी से निवेदन किया कि उनका आवेदन उस व्यक्ति तक पहुंचा दिया जाए जो यह जानकारी दे सकता है। मगर यह भी नहीं हो पाया, क्योंकि सूचना अधिकारी ने इस विषय में कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। इस पर चौहान ने मुख्य सूचना आयुक्त से गुहार लगाई। चौहान के वकील प्रशांत भूषण ने अपनी दलील में कहा कि हाईकोर्ट के किसी जज के खिलाफ आई शिकायत से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाता है। मुख्य न्यायाधीश ही मामले में आगे जाँच की जरूरत होने पर जाँच समिति गठित करते हैं। मगर मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला का कहना है कि याचिकाकर्ता का तर्क आवेदन पर मिली प्रतिक्रिया पर आधारित है। यह मूल आवेदन का हिस्सा नहीं है। फिलहाल श्रुति सिंह चौहान ने इस मामले में सूचना आयोग के समक्ष एक नया आवेदन देने को कहा गया है।

सामान्य वर्ग वाले पद पर आरक्षित सीट से जीते उम्मीदवार का चयन वैध

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में व्यवस्था दी है कि सामान्य वर्ग की सीट पर आरक्षित वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। कोर्ट ने इस आधार पर पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही हिसार नगरपालिका अध्यक्ष पद पर पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार बिहारी लाल राधा का चुनाव वैध घोषित कर दिया गया है।

हिसार नगर पालिका अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए है। वर्ष 2006 में इस पद के लिए हुए चुनाव में 31 वार्डों से चुन कर आए पार्षदों को भाग लेना था। 31 में से 17 वार्ड आरक्षित थे। बिहारी लाल राधा पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड से चुनाव जीत कर आए थे। बाद में वह नगरपालिका अध्यक्ष पद पर भी चुनाव जीत गए। अनिल जैन उर्फ टीनू ने बिहारी लाल के अध्यक्ष पद पर चुने जाने को यह कहते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी कि सामान्य वर्ग के लिए निश्चित पद पर आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार नहीं चुना जा सकता। इस तर्क को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सही ठहराया। हाईकोर्ट ने बिहारी लाल का नगरपालिका अध्यक्ष पद पर चुनाव निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहारी लाल सुप्रीम कोर्ट पहुँचे।

न्यायमूर्ति एल.एस. पंटा व न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। पीठ ने कहा है कि नगरपालिका अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होने की स्थिति में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का सिर्फ उस वर्ग का सदस्य होना ही पर्याप्त होता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसी खास वर्ग के लिए सुरक्षित वार्ड से चुन कर आया है या सामान्य वर्ग के वार्ड से। उसी तरह जब नगरपालिका अध्यक्ष का पद सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित है, तो कोई उम्मीदवार उस पर चुनाव लड़ सकता है और निर्वाचित घोषित हो सकता है। हाई कोर्ट को बिहारी लाल राधा के चुनाव में दखल नहीं देना चाहिए था।

संसद में आरक्षण : किन्नरों की याचिका पर विचार करने से इनकार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में किन्नरों को आरक्षण देने के लिए केन्द्र को दिशा-निर्देश देने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि सोनम सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों को सरकार के स्तर पर उठाया जा सकता है। सोनम राजस्थान की एक किन्नर है। प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन और न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम की पीठ ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि हम आपकी प्रार्थना पर दिशा-निर्देश नहीं दे सकते।

इस याचिका में किन्नरों की शिक्षा और उनके राजनीतिक तथा सामाजिक पुनर्वास की भी माँग की गई थी।

जब सोनम के वकील सन्तोष कुमार त्रिपाठी ने किन्नरों की दुर्दशा और विभिन्न सरकारों के काल में उनके हितों की उपेक्षा का उल्लेख किया गया तो पीठ ने कहा कि आपको निश्चित तौर पर दिखाना चाहिए कि आप सरकार के पास गए।

अधिवक्ता ने कहा कि विगत 60 वर्षों में किन्नरों के विकास के लिए संसद में एक भी प्रश्न नहीं उठाया गया।

वह कर अदायगी भी कर रहे हैं लेकिन उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर अपनी जीविका के लिए भीख मांगते हैं।

यूपी में दागी नेताओं को बेदाग बनाने की तैयारी में है सरकार

लखनऊ। उन्होंने पहले गुनाह किया और अब सजा भुगतने की बारी आई, तो गुनाह की फाइलें गुम करा दी। उत्तर प्रदेश कानून को धोखा देने का ये बड़ा मामला पकड़ में आया है। इस धोखेबाजी का खुलासा तब हुआ है, जब अदालत ने माफिया से नेता बने बाहुबलियों का आपराधिक रिकॉर्ड तलब किया। पता चला है, कि करीब आधा दर्जन बाहुबलियों की तमाम फाइलें गायब हो चुकी हैं, जिनमें संगीन अपराधों का ब्यौरा है। इसमें ज्यादातर खद्दरधारी हैं। ये फाइलें थाने से गायब हुई या अदालती प्रक्रिया के दौरान ये किसी को भी नहीं पता। बी.एस.पी. सरकार के बाहुबली अतीक अहमद विधायक राजूपाल की हत्या समेत संगीन मामलों के आरोपी हैं, और अब राजनीति का चोला पहन चुके हैं। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों जब अतीक का अपराधिक ब्यौरा तलब किया, तो पता चला कि उनके मामलों से जुड़ी कुछ फाइलें गायब हो चुकी हैं। अदालत ने फटकार लगाई तो मामले की छानबीन शुरू हुई। यूपी के गृह विभाग ने लम्बे समय के बाद ये कबूल किया, कि अतीक के खिलाफ दर्ज मुकदमों में से दो फाइलें जाँच आगे बढ़ी तो कानून को धोखा देने की पूरी कहानी खुलती गई। दर्जन भर बाहुबलियों की वो फाइलें गायब हो चुकी हैं, जिनमें बाहुबलियों के खिलाफ पुख्ता सबूत थे और उन्हें हर हाल में सजा होनी थी। यूपी के दो मंत्री जयवीर सिंह और रतन लाल अहिरवार के मुकदमों की फाइलों का कुछ पता नहीं। बी.एस.पी. से जुड़े गोरखपुर के पूर्व बाहुबली विधायक हरिशंकर तिवारी की 14 फाइलें गायब हैं। तो बी.एस.पी. के बाहुबली विधायक धनंजय सिंह की 17 फाइलें लापता हैं बी.एस.पी. एम.एल.ए. काजिम अली और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां के खिलाफ चल रहे मुकदमे की भी कुछ फाइलें नदारद हैं। इन फाइलों में हत्या, हत्या की कोशिश, एक्सप्लोसिव एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसे मुकदमे हैं। गायब हो चुकी इन फाइलों पर हैरान कानून ने जानकर अब सी.बी.आई. जाँच की माँग कर रहे हैं।

डॉन सांसदों का विकल्प नहीं मिल रहा है राजनैतिक दलों को

पटना। बिहार में आने वाले लोकसभा चुनाव पहले हुए चुनावों की अपेक्षा अधिक शांतिपूर्ण व निष्पक्ष होंगे, क्योंकि ``राजनीतिज्ञ बने सरगना'' इस चुनावी संघर्ष से बाहर होंगे।

ऐसा केवल इसलिए संभव हुआ है कि वर्तमान बिहार नेतृत्व द्वारा गम्भीर ``आपराधिक केसों'' को शीघ्रता के साथ निपटाया गया है। पिछले तीन सालों में ``फास्ट ट्रेक अदालतों'' द्वारा विधि निर्माता बने इन सरगनाओं के दोषी करार दिया गया है। मजेदार बात यह है कि अधिकांश राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधि सरगनाओं को चुनाव के लिए अयोग्य घोषित हो जाने की समस्या से ग्रसित हैं। इसका परिणाम यह रहा है कि अधिकांश राजनीतिक पार्टियां अपनी उन सीटों को जीतने के प्रति भी पूर्णतया आश्वस्त नजर नहीं आ रही हैं जहां से ये डॉन जीतते रहे हैं और जहाँ इनका दबदबा है। इस समय लालू प्रसाद यादव सिवान लोकसभा क्षेत्र प्रतिनिधि मोहम्मद शाहबुद्दीन के समान्तर कद्दावर नेता की तलाश में जोर-शोर से जुटे हैं। कहा जाता है कि उत्तरी बिहार को यह चुनावी क्षेत्र शाहबुद्दीन का गढ़ गनाया था वहां इनका इस कदर दबदबा है कि विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ उम्मीदवार ढूंढने में बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब उनके खिलाफ चार आपराधिक मामलों का फैसला हो जाने और आजीवन कारावास की सजा मिलने से वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रह गए हैं। इसलिए पार्टी का विश्वास डगमगा रहा है कि उनकी अनुपस्थिति में इस सीट पर जीत संभव है या नहीं। इसी तरह राजद अपनी माधोपुरा सीट पर भी चुनाव को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि वहां से सांसद राजेश रंजन व पप्पू यादव भी इस समस्या के कारण चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उन्हें माकपा विधायक अजित सरकार की हत्या का षड़यंत्र रचने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक हाईकोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय इस आदेश पर रोक न लगा दे तब तक वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं। लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान भी अपने सरगना सांसद सूरजभान सिंह के स्थान पर अन्य योग्य उम्मीदवार की तलाश में हैं। सूरजभान सिंह ने बलिया (बेगू सराय) से पिछला लोकसभा चुनाव जीता था लेकिन इस बार आजीवन कारावास की सजा हो जाने के कारण वे चुनावी मैदान से बाहर हो गए हैं। ऐसे दूसरे सरगना भी हैं जो अपने दबदबे वाले क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, पर अपराधिक मामलों की तैयारी में थे, पर अपराधिक मामलों में दोषी होने के कारण उन्हें चुनाव लड़ने का विचार त्यागना पड़ा है। इसमें हैं- लोजपा के राजन तिवारी और जद (यू) के विधायक सुनील पांडे। जदयू के ही विधायक मनोरंजन सिंह और भूतपूर्व सांसद आनंद मोहन। चारा घोटाले में भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव ने गैर जमानती वारंट जारी होने पर रातों-रात अपनी अनपढ़ पत्नी, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था, इससे सबक लेते हुए इन सरगनाओं ने भी अपने-अपने चुनावी क्षेत्रों से अपनी पत्नियों को चुनाव लड़वाने की कोशिश की है।

कई दागी सांसद भी वंचित हो सकते हैं चुनाव लड़ने से

नई दिल्ली। संसदीय चुनाव में कई दागी सांसदों को चुनाव लड़ने से वंचित होना पड़ सकता है। चौदहवीं लोकसभा में चुनाव जीते कई दागी सांसदों पर अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इनमें कई सांसद ऐसे हैं जिन पर अपराध सिद्ध हो गए हैं और उनको सजा भी सुनाई जा चुकी है। ऐसे में उनका चुनाव लड़ना संदिग्ध माना जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ सांसदों ने निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे रखी है।

मधेपुरा से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव इस समय तिहाड़ जेल में बंद है और इन्हें माकपा नेता अजीत सरकार की हत्याकांड में उम्रकैद की सजा हुई है। सिवान ने सांसद शहाबुद्दीन को भी कई मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। बलिया से सांसद सूरजभान बेगूसराय की बहुचर्चित रामी सिंह हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। इन लोगों को अगर अदालत से किसी प्रकार की राहत नहीं मिली तो इनका चुनाव लड़ना संदिग्ध माना जा रहा है। इसके अलावा फूलपुर सांसद अतीक अहमद इस समय नैनी जेल में बंद हैं। उनके खिलफ विधायक राजू पाल की हत्या का केस चल रहा है। सांसद उमाकांत यादव भी इस समय जेल में हैं। गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी हाल ही जमानत पर छूटे हैं। अगर इन पर आरोप सिद्ध हो जाता है तो यह चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं।

बिहार में भ्रष्ट लोकसेवकों की संपत्ति जब्त होगी

पटना। विधानमंडल के दोनों सदनों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी मुहिम को और धारदार बनाने के लिएस बिहार विशेष न्यायालय विधेयक 2009 को मंजूरी दे दी। इस कानून के लागू होने के बाद भ्रष्ट लोकसेवकों की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार सरकार को मिल जाएगा। विधेयक को अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कानून बनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। विधानमंडल के दोनों सदनों में इस विधेयक को पेश करते हुए मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने कहा कि घूसखोरों की संपत्ति सरकार जब्त कर लेगी। उन्हें घूस की कमाई पर राज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस कानून को मंजूरी दिलाने में अगर केन्द्र सरकार विलम्ब करेगी तो यह भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास होगा।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत का गठन होगा और स्पीडी ट्रायल के जरिए तय समय में इनका निष्पादन किया जाएगा।

गाँधी दर्शन प्रणीत संस्थान शुद्धिकरण मंच, जयपुर

(संस्थानिक प्रतिनिधि द्वारा)

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ, जयपुर प्रकरण पर पिछले अन्तराल में हुए अनेक प्रमाणित गबन-घोटालों और अनियमितताओं के न्यायोचित निस्तारण हेतु लोकसेवक रामदयाल खण्डेलवाल द्वारा विगत लम्बे समय से चलाए जा रहे अभियान के सकारात्मक परिणाम विभिन्न स्तरों से प्रगट होने लगे हैं। इन परिणामों को प्राप्त प्रमाणों के साथ सम्बन्धितों तथा पाठकों की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इन गबन घोटाले एवं अनियमितताओं पर अंकुश लगाने व संस्था संघ का कार्य किसी प्रशासक को तुरन्त प्रभाव से सौंप कर जाँच करवाने के आदेश जारी किये।

मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार

विषयः- राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ का कार्य किसी एडमिनिस्ट्रेटर को तुरन्त प्रभाव से सौंप कर सभी प्रकार के घोटालों एवं अनियमितताओं की जाँच किसी निष्पक्ष एजेन्सी से करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयक श्री प्रताप भानु खण्डेलवाल, संस्थापक अध्यक्ष, राजस्थान जन सतर्कता समिति, बी-7, शिव मार्ग, नन्दपुरी बाजार, हवा सड़क, सिविल लाइन्स, जयपुर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्बोधित प्रार्थना-पत्र का अवलोकन करने का श्रम करें।

निर्देशानुसार मूल ही संलग्न कर निवेदन है कि इस प्रकरण में परीक्षण करवाते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने का श्रम करावें।

(डॉ. डी.एन. पाण्डेय)
विशिष्ट सचिव, मुख्यमंत्री

राजस्थान सरकार, उद्योग (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.99(36) उद्योग/2/एसीएस/एसएसआई/09

2 फरवरी 09

1. राज्य निदेशक,
   खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग,
   झालाना डूंगरी, राज. जयपुर।
2. सचिव,
   राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
   जयपुर।

विषय : राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ का कार्य किसी एडमिनिस्ट्रेटर को तुरन्त प्रभाव से सौंप कर सभी प्रकार के घोटालों एवं अनियमितताओं की जाँच किसी निष्पक्ष एजेन्सी से करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र की प्रति मय संलग्नकों के प्रेषित कर निर्देशानुसार निवेदन है कि प्रकरण में आपकी टिप्पणी से इस विभाग को अविलम्ब अवगत कराने का श्रम करें।

भवदीय
उप शासन सचिव

यह कार्यवाही लोकसेवक रामदयाल खण्डेलवाल द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त प्रमाणित जानकारी तथा उठाये गये अनेक प्रमाणित आरोपों के आधार पर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचरण एवं अनाचरणों को उजागर कर उनका निस्तारण का संकल्प लेकर कार्यरत संस्था राजस्थान जन सतर्कता समिति के समर्पित पदाधिकारियों की प्रभावी पहल पर हुई है, तदर्थ न्यायिक ज्वाला उन्हें साधूवाद देती है।

इन आदेशों से वर्षो से इन अनाचरणों को दबाए रखने वाला सरकारी तंत्र खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के अध्यक्ष सहित शीर्षस्थ अधिकारीगण भी हरकत में आकर सक्रिय होने लगे हैं। वहाँ से प्राप्त अनेक निर्देश पत्रों में से टोप प्रापटीपरमोस्ट अरजेन्ट एक्सन/स्टैप लिए जाने के लिए अध्यक्ष एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी की अनुशंसा पर खादी कमीशन केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का सहायक निदेशक विजलेन्स तथा निदेशक प्रशासन मुख्य कार्यकारी कार्यालय खादी कमीशन मुम्बई को दिनांक 7-2-09 को जो आदेश जारी हुआ है वह मूल रूप में निम्नानुसार है। इस निर्देश पर हुई क्रियान्विती और उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

TOP PRIORITY

CENTRAL PUBLIC INFORMATION CELL
(Under Right to Information Act)

No. PIC/RTIA/Misc./2008-09/1468 Date : 07.02.2009

INTER SECTION NOTE

Sub : Information required under RTI Act in response to reply given by the CPIO, Jaipur Office against the information sought for by Shri Ramdayal Khandelwal

This is to inform that this CPI Cell has received letter dated 05.12.2008 from Shri Ramdayal Khandelwal on the above cited subject, which has been forwarded by Chairperson and Chief Executive Officer.

2. In this regard, it is to inform that after going through the content of the letter, it is seen that Shri Ramdayal Khandelwal had made this application to CPIO, Jaipur in connection with the audit report of merino wool, but the same has not been provided to Shri Ramdayal Khandelwal by CPIO, Jaipur, due to non availability of information in Khadi section. Therefore, on the given information, Shri Khandelwal has raised questions and requested to the following officials to investigate the matter-

1. Chief Vigilance, C.O., KVIC, Mumbai.
2. Chief Executive Officer, KVIC, Mumbai.
3. Director, S.O., KVI, Jaipur.

3. In view of the above, since, Shri Ramdayal Khandelwal has raised question and requested to investiagate the matter to above said officials in his letter dated 5.12.2008, it is, therefore, requested to take necessary action/steps in the matter and accordingly, action taken report may kindly be informed to the applicant directly, under intimation to the CPI Cell.

4. A zerox copy of the letter dated 05.12.08 of Shri Ramdayal Khandelwal is enclosed with this letter for perusal and necessary action.

5. This may be related as **MOST URGENT.**

Central Public Information Officer

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की केन्द्रीय प्रसारण समिति के प्रभावी नियम की अवज्ञा समझ पूर्वक की जा रही है।

"THERE SHALL BE ATLEAST 9 MAMBERS AND NOT MORE THAN 15 MAMBERS IN THE EXECUTIVE CUMMITTEE. NONE OF THEM SHOULD BE NEAR RELATIVES OR RELATED BLOOD OR MARRIAGE TO EACH OTHER, IN-LAWS WOULD BE CONSIDERED AS NEAR RELATION UNDER THE RULE".

इस नियम के विपरीत गत दिनांक 13.12.09 को संस्था संघ के चुनाव में संघ की कार्यसमिति में श्री लक्ष्मीचन्द भंडारी (केन्द्रीय प्रमाण पत्र समिति के वरिष्ठ सदस्य) तथा उनके सुपुत्र श्री राजेन्द्र भंडारी मंत्री बने हैं। नियम के तहत उठाई आपत्ति पर दोनों पिता-पुत्र ने त्याग पत्र भी दिये हैं परन्तु दोनों के त्याग पत्र की प्राप्त नहीं हो सकी है। श्री राजेन्द्र भंडारी (मंत्री) ने अध्यक्ष के समक्ष जाहिर किया है कि उनसे मिलने उक्त कारण त्याग पत्र दे दिया है। अध्यक्ष कहते

(शेष पृष्ठ आठ पर)

आत्मरक्षा में हत्या अपराध नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आत्मरक्षा में की गई हत्या अपराध नहीं है। कानून इसे अपराध नहीं मानता। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने तीस साल पुराने हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को बरी करने के बाद हाई कोर्ट के फैसले को उचित ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोई व्यक्ति आत्मरक्षा के लिए उन परिस्थितियों में किसी की हत्या कर सकता है जब उसे अपने अस्तित्व पर खतरा या विरोधी द्वारा उसे गंभीर रूप से जख्मी करने का खतरा नजर आ रहा हो।

न्यायमूर्ति दलवीर भण्डारी और एच.एस. बेदी की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक हत्या के सिलसिले में गजेय सिंह और राजपाल सिंह को बरी करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। यह मामला मेरठ शहर में पुरानी दुश्मनी के कारण 27 जनवरी, 1979 को हुई हत्या का है। घटना के अनुसार, लखीराम कुछ अन्य लोगों के साथ गजेय और राजपाल के ठिकाने पर पहुँचा। दोनों पर धारदार हथियारों से हमले किए गए। अपनी जान बचाने के लिए राजपाल और गजेय द्वारा चलाई गई गोली से लखीराम की मौत हो गई। निचली अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आत्मरक्षार्थ हत्या के आधार पर दोनों को हत्या के इल्जाम से बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 100 की व्याख्या करते हुए कहा कि हमलावर की हत्या करना 'व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार' है। गजेय और राजपाल ने इसका सही उपयोग किया। पीठ ने कहा कि आत्मरक्षा में किसी की हत्या करना अपराध नहीं है। पीठ ने कहा कि इस मामले में लखीराम को मात्र एक गोली लगी थी और उस पर दोबारा गोली नहीं चलाई गई थी। इस वजह से यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपियों ने अपने आत्मरक्षा के अधिकार का किसी भी तरह से अतिक्रमण किया।

जहर खाकर आत्महत्या करने वाले 30 वर्ष से कम उम्र के युवा

एक सर्वे में हुआ खुलासा, आत्महत्या के लिए ज्यादातर सेल्फोस का इस्तेमाल

जयपुर। निराश, अकेलापन, पारिवारिक झगड़ों, बेरोजगारी व आधुनिक जीवन-शैली से उपजे मानसिक तनाव के चलते युवाओं में आत्महत्या के लिए जहर खाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसमें भी सेल्फोस का इस्तेमाल (गाँवों में भी) ज्यादा होता है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है। जहर खाने वालों में 26 से 30 साल के युवाओं की संख्या ज्यादा है।

यह खुलासा एसएमएस मेडिकल कॉलेज के फार्माकॉलोजी विभाग के डॉ. मुकुल माथुर, डॉ. लोकेन्द्र शर्मा की ओर से एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी में पांच साल में आए मरीजों के अध्ययन से हुआ है। अध्ययन में 45.7 प्रतिशत सेल्फोस, 20 प्रतिशत ऑर्गेनो फास्फोरस और 26.1 प्रतिशत अज्ञात जहर के मामले पाए गए। इसके अलावा महिलाओं द्वारा नींद की गोलियाँ व चूहे मारने की दवा लेने के मामले भी हैं। डॉ. शर्मा ने बताया कि 2008 में एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी में 106 लोगों पर किए गए अध्ययन में भी युवाओं (26 से 30) की संख्या तथा सेल्फोस खाने के मामले ज्यादा पाए गए। शहरी क्षेत्र की 15 से 30 साल की लड़कियां भी सेल्फॉस लेती हैं। इसके लिए ओपीसी, नींद की गोलियां व चूहे मारने की दवा का इस्तेमाल भी होता है।

आत्महत्या के पिछले दस साल के आंकड़े देखने से पता चलता है कि जहर खाने वाली महिलाओं की संख्या पुरूषों की तुलना में कम है।

वर्ष	मृत्यु	
	पुरूष	महिला
2001	126	32
2002	149	51
2003	167	86
2004	181	94
2005	188	99
2006	208	111
2007	210	121

अस्पताल में जहर के मामले

वर्ष	आउटडोर		इनडोर		मौत	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1996	2115	1150	335	86	101	35
1997	2170	1260	339	88	106	38
1998	2214	1306	464	203	109	42
1999	2732	1611	492	231	116	53
2000	3172	1926	473	224	110	62

गाँधी दर्शन प्रणीत संस्थान शुद्धिकरण मंच, जयपुर

(पृष्ठ सात का शेष)

हैं कि उनके पास वह त्याग पत्र नहीं आया है। सुना जा रहा है कि यह पिता-पुत्र का अन्यों को भ्रमित करने वाला नाटक मात्र है। फिर भी वस्तुस्थिति की प्रतीक्षा है।

मंत्री राजेन्द्र भण्डारी के त्याग पत्र की प्रति जो परोक्ष प्राप्त हुई है जिसमें यह उल्लेख है कि संस्था को समय नहीं दे रहे हैं तथा अपनी जवाबदारी का निर्वाह भी नहीं कर पा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ

जयपुर

महोदय,

संस्था संघ का कार्यभार संभालने के बाद मुझे लगता है कि मैं शायद पूरा समय नहीं दे पा रहा हूँ तथा ना ही ढंग से कर्त्तव्य निर्वाह कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं स्वेच्छा से राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ के मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हो। कृपया मेरा इस्तीफा स्वीकार कर नये चुनाव होने तक अन्य को मंत्री के कार्य के लिए नियुक्त करने की कृपा करें।

आपने, सभी साथियों ने, सभी संस्था प्रतिनिधियों ने, तथा कार्यकर्ताओं ने जो मुझे सहयोग दिया है, उसके लिए मैं आप सब का हृदय से आभारी हूँ।

आपका

राजेन्द्र भण्डारी

यह त्याग पत्र अध्यक्ष के पास बिना किसी कार्यवाही के लम्बित है। आश्चर्य है कि जो व्यक्ति संस्था को समय नहीं देने तथा अपनी जवाबदेही का निर्वहन नहीं कर रहा है उस पर उनके लिखे अनुसार प्राथमिकता से निर्णय क्यों नहीं किया जा रहा है? पता नहीं पूरा नवनिर्वाचित तंत्र ही इस समय चुप्पी क्यों साध रहा है। परोक्ष यह सुनने में आया है कि मंत्री ने मंत्री बने रहना स्वीकार कर लिया है।

यदि यह सत्य है तो इस असत्य की स्वीकृति की घोषणा लिखित में जारी की जानी चाहिए जिसमें त्यागपत्र में उसने अपने कार्यकाल में पुन: नहीं लेंगे।

संस्था संघ प्रदेश की प्रमाणित खादी की संस्थाओं के प्रतिनिधियों से गठित और संचालित है। कोई भी संस्था जब चाहे तब किसी उचित पात्र को अपनी ओर से संस्था संघ का प्रतिनिधि बनाने का निर्णय ले सकती है। संस्था संघ को उसका निर्णय मान्य करना अनिवार्य है।

इस आशय का प्रस्ताव खादी ग्रामोद्योग विकास संस्थान की ओर से दिनांक 25.09.08 को रामदयाल खण्डेलवाल के पक्ष में लेकर संस्था संघ को विधिवत पूरी कार्यवाही कर सूचित कर रहा है परन्तु संस्था संघ के कुछ वरिष्ठ जनों को श्री खण्डेलवाल का संस्था संघ में सदस्य बनना स्वीकार नहीं है इसलिए उनका विरोध अब इस स्तर पर पहुँच गया है कि ये वरिष्ठजन (?) प्रस्तावकर्ता संस्था के पदाधिकारियों तथा प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सदस्यों से खुली धमकियां देने में लगे हैं कि यदि यह प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो उनकी संस्थाओं को ही समाप्त कर दिया जावेगा।

प्रस्ताव पत्र निम्नानुसार है-

खादी ग्रामोद्योग विकास संस्थान

संस्था के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 25.09.2008

प्रस्ताव संख्या 3 की सत्यापित प्रतिलिपि

प्रस्ताव-3 राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ की सदस्यता में संस्था की ओर से प्रतिनिधि नियुक्त करने पर विचार।

निर्णय - सभा के समक्ष मंत्री ने जानकारी दी कि संस्था राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ, जयपुर की दिनांक 17.06.1985 से लगातार सदस्य है तथा संस्था की ओर से संस्था संघ में प्रतिनिधित्व श्री जवाहर लाल जैन कर रहे हैं। संस्था संघ के नियमानुसार सदस्यता शुल्क भेजा जाता रहा है। वर्तमान में वर्ष 2006 से 2009 तक का सदस्यता शुल्क भेजना बकाया है।

सभा ने विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आगे के लिए संस्था संघ में संस्था की ओर से प्रतिनिधित्व के लिए संस्था की ओर से श्री रामदयाल खण्डेलवाल 48, सचिवालय कॉलोनी, बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर फोन नं. 0141-2590350 मो. 9928397848 अधिकृत किया जाता है। संघ का सदस्यता शुल्क नियमानुसार भेजा जावे।

मंत्री

खादी ग्रामोद्योग विकास संस्थान, झुंझुनू

यद्यपि संस्था संघ का क्रियात्मक मौलिक स्वरूप जो खड़ा हुआ था वह प्राय: विगत 15 वर्ष से निरन्तर समाप्त होता चला गया है। सिवाय जमीन जायदाद के अलावा कुछ भी शेष नहीं बचा है तथापि प्रदेश के कुछ संगठित तत्व अदल-बदल पर संस्था व्यवस्था पर कब्जा किये चल रहे हैं। आज भी किन्हीं अपवादों को छोड़ यही स्थिति है। लोग भी उनके दबाव में रह रहे हैं। यह अनैतिक और अवैधता कर नियंत्रण के मुख्य कारण यही है कि इन लोगों की सांठ-गांठ और मिलीभगत से संस्था में अपरिमित गबन घोटाले और अनाचरण हुए हैं वे उनके नियंत्रण में ही जमी है गत दिनांक 5.3.06 को विधान विपरीत जो तीसरी बार वही पदाधिकारी काबिज हो गए थे उस चुनाव के विरोध में तत्कालीन अध्यक्ष श्री इन्दुभूषण गोयल जो वर्तमान में अध्यक्ष स्वयं रजिस्ट्रार संस्थाएं तक संघर्षरत रहे हैं परन्तु तत्कालीन कब्जाधारियों ने और खादी कमीशन के संयुक्त षड्यंत्र के अन्तर्गत यह झूठा प्रचार किया गया कि रजिस्ट्रार ने उक्त अवैध चुनाव को मान्य कर लिया है परन्तु वास्तविकता इसके विपरीत थी। जो स्वयं तत्कालीन रजिस्ट्रार के पत्र से स्पष्ट हो रही है-

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं, जयपुर

श्री इन्दुभूषण गोईल

सदस्य, रज. खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ, खादी मंदिर, बीकानेर

विषय : राज. खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ जयपुर के चुनाव दिनांक 5.3.06 के संबंध में।

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में विषयान्तर्गत लेख है कि राज. खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ जयपुर के चुनाव दिनांक 5.3.06 के बारे में आप सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करें।

रजिस्ट्रार संस्थाएं, जयपुर

इसके अलावा बहुत कुछ बताया जाना तथा प्रगट होना शेष है जो क्रम से प्रकाशित किया जाता रहेगा।

प्रस्तोता, रामदयाल खण्डेलवाल, लोकसेवक

गाँधी को किसने मारा, गोडसे ने या उसके अनुयायियों ने?

गाँधी की अमूल्य निशानियाँ खरीदी शराब के व्यवसायी ने

महात्मा गाँधी की अमूल्य निशानियाँ एक शराब के अरबपति व्यवसायी ने सवा नौ करोड़ रुपए बोली लगाकर खरीद ली और उसके अरबपति अनुयायी 'वैष्णवजन' गाते रहे। गाँधी के अनुयायियों की इस कथनी व करनी को देखकर स्वर्ग में उन्हें निश्चय ही रोना आया होगा। गाँधी की निशानियाँ क्रय करने वाले शराब व्यवसायी विजय माल्या ने बिना किसी नशे के निलामी में इन्हें खरीद कर इस देश की तो इज्जत बढ़ाई ही है किन्तु शराब के विरोध में नाटकीय आन्दोलनकर्ताओं को शायद ही शर्म महसूस होगी? भारत सरकार हो उसके अनुयायी इस देश को जिस बेरहमी से लूट रहे हैं जिसका प्रमाण स्विस बैंकों में जमा 58 लाख करोड़ रुपए है किन्तु गाँधी की विरासत के लिए इन्होंने 10 करोड़ खर्च करना भी उपयुक्त नहीं समझा। गाँधी की वस्तुओं को लाने के लिए ये लोग शोर तो मचाते रहे किन्तु जब मौका आया तो इन्हें साँप सूंघ गया। हमारा पत्र गाँधी अनुयायियों पर लगातार लिख रहा है और गाँधी दर्शन प्रणीत संस्थानों के शुद्धिकरण के लिए जब कार्यवाही करता है तो उनके अनुयायी तिलमिला जाते हैं। गाली-गलौच और धमकी देने से भी परहेज नहीं करते। गाँधी के नाम की जागीर तो खाना चाहते हैं किन्तु उसके सिद्धान्तों पर बिल्कुल नहीं चलना चाहते।

स्विस बैंकों का काला धन उजागर होगा

स्विट्ज़रलैंड सरकार ने दिया अपने गोपनीयता नियम में ढ़ील देने का भरोसा

जनेवा। कर चोरी की पनाहगाह समझी जाने वाली स्विस बैंक अब उतनी सुरक्षित नहीं रही। अमेरिका समेत कई देशों के दबाव के आगे झुकते हुए स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रपति हैंस रूडोल्फ मर्ज ने घोषणा की है कि संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत पर सरकार स्विस बैंकों से उनके खाताधारकों की बाबत जानकारी हासिल कर इसे संबंधित देशों को मुहैया कराएगी। एक अनुमान के मुताबिक स्विस बैंकों में तकरीबन 20 खरब डालर (लगभग 1040 खरब रूपए) की विदेशी मुद्रा जमा है। स्विट्ज़रलैंड के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इस धन का हिस्सा 12 फीसदी के लगभग है। स्विस बैंक अपने खातों और इनके धारकों के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी देने से परहेज बरतते हैं। इनकी गोपनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अपने देश की सरकार को भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं देते हैं। इसी गोपनीयता का फायदा उठाकर तमाम लोग अपनी काली कमाई स्विस बैंकों में रखते हैं। इनमें कारोबारियों समेत विभिन्न देशों में आन्दोलन चला रहे संगठन भी शामिल हैं। अमेरिका के तमाम बड़े कारोबारी भी स्विस बैंकों के खाता धारक हैं। ग्लोबल आर्थिक मंदी के इस दौर से निजात पाने के लिए स्विट्ज़रलैंड पर काफी दिनों से दबाव बनाए हुए थे। इन देशों का मानना है कि ऐसे खातों की जानकारी होने पर वह अपने यहाँ के काले धन को बाहर लाने में कामयाब होंगे तथा इसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने में करेंगे। स्विट्ज़रलैंड का यह फैसला अप्रैल में होने वाली जी 20 देशों की बैठक से ठीक पहले आया है। इस बैठक में विकसित और भारत व चीन जैसे प्रमुख विकासशील देश टैक्स चोरी को रोकने के उपायों पर विचार करेंगे। टैक्स चोरी के लिए लक्जमबर्ग और आस्ट्रिया ने भी विश्व समुदाय को मदद को भरोसा देते हुए स्विट्ज़रलैंड जैसे कदम उठाने की बात कही है।

पाक्षिक

न्यायिक ज्वाला

आजीवन	:	रू. 1500/-
वार्षिक शुल्क	:	रू. 100/-
मासिक	:	रू. 10/-
एक प्रति	:	रू. 5/-

न्यायिक ज्वाला

एसबी-3, ओटीएस के सामने,

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

फोन : 2701029, 2710110

परामर्श मण्डल न्यायिक ज्वाला

1.	श्री जे.पी. बंसल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
2.	श्री दामोदर मिश्रा	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
3.	श्री वी.के. अग्रवाल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
4.	श्री आर.पी. नाग	सेवा निवृत्त महानिरीक्षक राजस्थान पुलिस
5.	डा. मोहिनी शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी कॉलेज
6.	श्री के.सी. सेठी	एडवोकेट सुप्रीमकोर्ट
7.	श्री दिनेश अत्री	एडवोकेट
8.	श्री वी.एन. सक्सेना	एडवोकेट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीगोपाल शर्मा के लिये अम्बर ऑफसेट प्रा.लि.कार्यालय मुकुन्दगढ़ हाऊस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर से मुद्रित एवं एस.बी.-3, ओटीएस के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। फोन : 2710110 प्रधान संपादक श्रीगोपाल शर्मा, संपादक सुधीर शर्मा, सह सम्पादक गोविन्द मिश्र, सुरेश अग्रवाल। ई-मेल आई डी : sgs.nyayikjwala@yahoo.com **पत्र से संबंधित तमाम विवादों का निपटारा जयपुर न्यायिक क्षेत्र में ही होगा।**